

कंटी कोर्ट लेटर हेड

दिनांक.....

पता

RE: साक्ष्य को विनष्ट करने की सूचना की आवश्यकता

महोदय.....

नशे की जाँच के दौरान, जिसके कि आप विषय थे, आपके रक्त या मूत्र के कुछ सैम्पल एकत्र किए गए थे। उस सबूत को बनाए रखना और उसे नष्ट कर देना टेक्सास दंड संहिता के अनुच्छेद 38-50 द्वारा नियन्त्रित होता है। फोर्ट बेंड काउंटी न्यायालयों का यह दायित्व है कि वे विभिन्न काउंटी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से आपसे संग्रहीत साक्ष्य और उसके लम्बित विनाश से आपको अवगत कराएं। यदि कम्प्यूटर आपकी पहुँच में नहीं है तो आप स्थानीय काउंटी पुस्तकालयों में से किसी में जा सकते हैं और बताए गए लिंक का प्रयोग करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
अतिरिक्त सूचना के लिए निम्न लिंक या क्यूआर कोड का प्रयोग करें:

<https://www.fbctx.gov/article38.50tccp>



भवदीय,

सम्माननीय जूली मैथ्यू
प्रशासनिक जज, काउंटी कोर्ट ऐट लॉ